तारीख हुक्म

10/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/7/24 को पेश हो।

8/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/8/24 को पेश हो।

13/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 10.12.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह य...)
उपखण्ड अधि...
नीमकाथाना (रा...)

Scanned with OKEN Scanner